

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

Disposal

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या- 163/2016-17

वाद का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- कमलधारी राम

पिता/पति- शुकदेव राम

मौजा पतिचक

थाना नम्बर- 30

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 154

दाग नम्बर- 130

रकबा- 0.052 अ

16/03/22

तिथि	आदेश
------	------

19.10.16 मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रु दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूखु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रु दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रु दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रु दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत कमलधारी राम  
 पिता/पति- शुकदेव राम मौजा- पतिचक का उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 1.11.2016 को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

संख्यापित।  
25.10.16

अंचल अधिकारी  
 मेहरमा।

25.10.16  
 अंचल अधिकारी  
 मेहरमा।



(3)

आतः वारी के वाद को खींचा  
किया जाता है)

नदनुसार कम्युनिजेशन से  
वारी ~~सम~~ के साथ दिनांक 16.3.22 को खींचा

१  
अंक  
मह/पा

16/03/22

आदिनेरु उपखेतापिन | वारी  
कमसवादी उप खे - सुकेरुप  
शाम - पत्तीपत्र, मोजा पत्तीपत्र, कोकिल  
पत्र के साथ मूल वास्तविक समझि  
किया है) वास्तविक वारी, से खींचे से  
से है)

आतः वारी के वाद को खींचा  
किया जाता है)

नदनुसार - कम्युनिजेशन से |

सोझापिन |

१

अंक  
मह/पा

१  
अंक  
मह/पा